कम्प्यूटर - परि० पत्र सं० 1314054 दि० 01-10-2013

पत्र सं0-सचल दल -ट्रांजिट पास -2013-14/1556 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(सचल दल-अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
दिनांक :: लखनऊ : 01 अक्टू, 2013

आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या सचल दल -ट्रांजिट पास -2013-14 /1341 /1314041/वाणिज्य कर दिनांक 03.09.2013 द्वारा पारगमन पत्र से संबंधित संशोधित प्रक्रिया लागू की गयी है । इस प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न ट्रांसपोर्ट कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों में निहित बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचार करते हुए पूर्व निर्गत उपर्युक्त आदेश के क्रम में निम्न निर्देश निर्गत किए जाते हैं -

1- लांग बाडी कन्टेनर (ट्राला) , जो समान्यत: व्हीकल्स के परिवहन के लिए प्रयोग किए जाते हैं तथा जिनका कांटा इसलिए नहीं कराया जा सकता है क्योंकि उनका आकार बड़ा होता है, ऐसे वाहनो को विभागीय बेवसाइट पर वाहन के पंजीकरण के समय सर्वप्रथम ड्रापडाउन में लांग बाडी कन्टेनर (ट्राला) चिहिन्त किया जाएगा। इसके पश्चात समस्त विवरण वर्तमान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरा जायेगा । इस प्रकार पंजीकृत वाहनों के द्वारा TDF जेनरेट करने की दशा में कॉटा / वजन का विवरण भरना अनिवार्य नहीं होगा।

2- ऐसे वाहन जिनके द्वारा प्रान्त के बाहर से माल को लाकर प्रान्त के भीतर के किसी स्थान पर पल्टी करके एक से अधिक वाहनों में प्रदेश के बाहर के विभिन्न गन्तव्य स्थानों के लिए माल लोडकर ले जाया जाता है , उनके द्वारा मूल TDF - 1 के जारी करते समय विभागीय बेवसाइट पर इस आशय की घोषणा करनी होगी तथा उस प्रश्नगत माल को कितने वाहनों में पल्टी किया जायेगा , उसकी संख्या भी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा । एक वाहन से अधिकतम 03 वाहनों में माल को पल्टी किया जाना अनुमन्य होगा ।

ऐसी स्थिति में मूल रूप में संबंधित वाहन के लिए TDF-1 बनाया जाएगा । इसी समय पल्टी के स्थान तथा उन वाहनों की संख्या (1 से अधिकतम 3 तक) का भी उल्लेख करना होगा जिनमें प्रश्नगत माल को पल्टी करने के बाद लोड करते हुए प्रान्त बाहर ले जाया जाएगा । यह उल्लेख विभागीय बेवसाइट पर अपने Login से Vehicle Change के विकल्प (Option) में जाकर संबंधित वाहनो की संख्या (1 से अधिकतम 3 तक) अंकित करते हुए किया जाएगा । इसी समय संबंधित माल के इन वाहनों में अग्रेतर परिवहन के दृष्टिगत पृथक-पृथक माल की प्रविष्टि की जाएगी ताकि जब माल पल्टी करके ले जाया जाए तो कोई असुविधा न हो । इन पृथक-पृथक माल के पारगमन के संबंध में अन्य विवरण वेबसाइट पर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंकित किए जायेंगे । पल्टी के उपरान्त जिस वाहन से माल का अग्रेतर परिवहन किया जाना है उसका उल्लेख वेबसाइट पर करते हुए TDF-1 A , TDF-1 B तथा TDF-1 C जैसी आवश्यकता हो अर्थात यदि दो वाहनों में माल को अग्रेतर ले जाना है तो TDF-1 A तथा TDF-1 B और यदि तीन वाहनों में माल को अग्रेतर ले जाना है तो TDF-1 A , TDF-1 B तथा TDF-1 C को डाउनलोड करते हुए ऐसे माल का पारगमन किया जाएगा । इनके संबंध में तदनुसार खारिजी हेतु TDF-2 पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपलोड किया जाएगा तथा sms भी ctxup अंकित करके तथा इसके बाद स्पेस देकर tdfa अंकित करते हुए TDF नम्बर की दस डिजिट का अंकन करते हुए , करना होगा । यही स्थिति TDF-1B तथा TDF-1C की भी होगी । अन्तर केवल यह होगा कि उक्त में जहाँ tdfa अपलोड किया गया है उसके स्थान पर क्रमश: tdfb तथा tdfc का अंकन करना होगा ।

एक वाहन से अधिकतम तीन TDF-1 का पल्टी किया गया माल पारगमित किया जा सकेगा ।

3- प्रदेश के बाहर से रेलवे के माध्यम से प्रदेश के भीतर माल लाकर विभिन्न ट्रकों में इसे लोड करके प्रदेश के बाहर ले जाने की स्थिति में जिन वाहनों द्वारा माल को परिवहित किया जायेगा, उन्हीं के द्वारा TDF-1 जेनरेट

mu

किया जायेगा। TDF-1 जेनरेट करते समय यात्रा प्रारम्भ करने के राज्य का चयन dropdown में से उस राज्य का किया जायेगा जहाँ से रेलवे के माध्यम से माल लाया गया है तथा गन्तव्य प्रदेश की फील्ड में उस राज्य का चयन किया जायेगा जहाँ पर माल अनलोड किया जायेगा। TDF-1 में एन्ट्री लोकेशन की फील्ड में Railways को प्रदेश के उस स्टेशन के स्थान सहित सेलेक्ट किया जायेगा जहाँ से माल का अग्रेतर पारगमन ट्रकों के माध्यम से किया जाना है। वर्तमान प्रक्रिया में TDF-1 में उपलब्ध फील्ड के अतिरिक्त एन्ट्री फील्ड्स में आर0आर0 नम्बर, आर0आर0 दिनांक तथा आर0आर0 में अंकित माल का वजन अंकित किया जाएगा।

प्रदेश से बाहर निकलते समय समस्त वाहनों द्वारा वर्तमान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार TDF-2 भरा जायेगा तथा TDF-2 से सम्बन्धित SMS कियाजायेगा।

4- प्रदेश के बाहर से वाहनो के माध्यम से माल प्रदेश के भीतर लाकर रेलवे के माध्यम से प्रदेश के बाहर ले जाने की स्थिति में सम्बन्धित वाहनो द्वारा वर्तमान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार TDF-1 जेनरेट किया जायेगा। माल जिस स्थान से चलेगा, उस राज्य का चयन dropdown में से किया जायेगा तथा गन्तव्य प्रदेश की फील्ड में उस राज्य का चयन किया जायेगा जहाँ पर माल रेलवे के द्वारा अनलोड किया जायेगा। एन्ट्री लोकेशन की फील्ड में उस लोकेशन को सेलेक्ट किया जायेगा जहां से वाहन प्रदेश के भीतर प्रवेश कर रहा है तथा Exit लोकेशन में Railways को प्रदेश के उस स्टेशन के स्थान सहित सेलेक्ट किया जायेगा जहाँ पर पारगमन के बाद माल अनलोड किया जाएगा।

जब वाहनों द्वारा माल रेलवे स्टेशन पर अनलोड कर दिया जायेगा तो उनके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार TDF-2 भरा जाएगा तथा इसमें वर्तमान फील्ड के अतिरिक्त एन्ट्री फील्ड्स में आर0आर0 नम्बर, आर0आर0 दिनांक तथा आर0आर0 में अंकित माल का वजन अंकित किया जाएगा।

5- प्रदेश के बाहर से रेलवे द्वारा कन्टेनर के माध्यम से माल प्रदेश के भीतर स्थापित ICD में लाकर ऐसे ICD से विभिन्न ट्रकों से प्रदेश के बाहर ले जाने की स्थिति में जिन वाहनों द्वारा माल को परिवहित किया जायेगा, उन्हीं के द्वारा TDF-1 जेनरेट किया जायेगा। TDF-1 जेनरेट करते समय यात्रा प्रारम्भ करने के राज्य का चयन dropdown में से उस राज्य का किया जायेगा जहाँ से रेलवे के माध्यम से माल लाया गया है तथा गन्तव्य प्रदेश की फील्ड में उस राज्य का चयन किया जायेगा जहाँ पर माल अनलोड किया जायेगा। TDF-1 में इन्ट्री लोकेशन की फील्ड में ICD को इसके स्थल सहित सेलेक्ट किया जायेगा तथा वर्तमान प्रक्रिया में उपलब्ध फील्ड के अतिरिक्त एन्ट्री फील्ड्स में आर0आर0 नम्बर, आर0आर0 दिनांक तथा आर0आर0 में अंकित माल का वजन अंकित किया जाएगा।

प्रदेश से बाहर निकलते समय समस्त वाहनों द्वारा वर्तमान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार TDF-2 भरा जायेगा तथा TDF-2 से सम्बन्धित SMS किया जायेगा।

6- प्रदेश के बाहर से रोड द्वारा सील्ड कन्टेनर के माध्यम से माल प्रदेश के भीतर स्थापित ICD में लाकर ऐसे ICD से विभिन्न ट्रकों से प्रदेश के बाहर ले जाने की स्थिति में जिन वाहनों द्वारा माल को परिवहित किया जायेगा, उन्हीं के द्वारा TDF-1 जेनरेट किया जायेगा। TDF-1 जेनरेट करते समय यात्रा प्रारम्भ करने के राज्य का चयन dropdown में से उस राज्य का किया जायेगा जहाँ से सील्ड कन्टेनर के माध्यम से माल लाया गया है तथा गन्तव्य प्रदेश की फील्ड में उस राज्य का चयन किया जायेगा जहाँ पर माल अनलोड किया जायेगा। TDF-1 में एन्ट्री लोकेशन की फील्ड में ICD को इसके स्थल सहित सेलेक्ट किया जायेगा तथा वर्तमान प्रक्रिया में उपलब्ध फील्ड के

mu

अतिरिक्त एन्ट्री फील्ड्स में कन्टेनर से संबंधित जी0आर0 नम्बर , जी0आर0 दिनांक तथा जी0आर0 में अंकित माल का वजन अंकित किया जाएगा।

प्रदेश से बाहर निकलते समय समस्त वाहनों द्वारा वर्तमान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार TDF-2 भरा जायेगा तथा TDF-2 से सम्बन्धित SMS किया जायेगा।

7- इसी प्रकार प्रदेश के बाहर से वाहनो से माल प्रदेश के भीतर लाकर ICD के माध्यम से प्रदेश के बाहर ले जाने की स्थिति में सम्बन्धित वाहनो द्वारा वर्तमान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार TDF-1 जनरेट किया जायेगा। माल जिस स्थान से चलेगा, उस राज्य का चयन dropdown में से किया जायेगा तथा गन्तव्य प्रदेश की फील्ड में ICD का इसके स्थल सहित चयन किया जायेगा जहाँ पर प्रश्नगत माल अनलोड किया जायेगा। एन्ट्री लोकेशन की फील्ड में उस लोकेशन को सेलेक्ट किया जायेगा जहां से वाहन प्रदेश के भीतर प्रवेश कर रहा है तथा Exit लोकेशन में ICD को इसके स्थल सहित सेलेक्ट किया जायेगा तथा वर्तमान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार TDF-2 भरा जायेगा तथा TDF-2 से सम्बन्धित SMS कियाजायेगा।

8- यदि रेलवे के माध्यम से प्रदेश के भीतर माल लाकर इसे विभिन्न वाहनों से ICD ले जाया जाता है तब बिन्दु सं0-3 के अनुसार पारगमन पत्र जेनरेट किया जाएगा तथा इसमें गन्तव्य ICD इसके स्थल सहित चयन किया जाएगा तथा यात्रा प्रारम्भ करने के राज्य का चयन dropdown में से उस राज्य का किया जायेगा जहाँ से रेलवे के माध्यम से माल लाया गया है। TDF-1 में एन्ट्री लोकेशन की फील्ड में Railways को प्रदेश के उस स्टेशन के स्थान सहित सेलेक्ट किया जायेगा जहाँ से माल का अग्रेतर मूवमेंट ट्रकों के माध्यम से ICD को किया जाना है। वर्तमान प्रक्रिया में TDF-1 में उपलब्ध फील्ड के अतिरिक्त एन्ट्री फील्ड्स में आर0आर0 नम्बर , आर0आर0 दिनांक तथा आर0आर0 में अंकित माल का वजन अंकित किया जाएगा। Exit लोकेशन में ICD को इसके स्थल सहित सेलेक्ट किया जायेगा तथा वर्तमान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार TDF-2 भरा जायेगा तथा TDF-2 से सम्बन्धित SMS किया जायेगा।

9- प्रदर्शनी हेतु लाये जाने वाले माल के सम्बन्ध में संबंधित ट्रांसपोर्टर / परिवहनकर्ता द्वारा विभागीय वेबसाइट पर Login करके TDF for Exhibition पर क्लिक किया जायेगा। TDF 1 फार्म में जिस राज्य सें माल ले जाया जा रहा है उसे Dropdown से चयनित किया जायेगा तथा प्रदर्शनी के उपरान्त वापिस जिस राज्य को माल ले जाया जा रहा है , उसी राज्य का चयन किया जायेगा। Entry लोकेशन का चयन उपलब्ध Dropdown में से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रदर्शनी की समयावधि की प्रविष्टि भी विभागीय वेबसाइट पर गन्तव्य पर पहुंचने की अवधि के सम्मुख TDF-1 में की जायेगी। जिस स्थान पर प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है , उस स्थान पर माल के पहुँच जाने पर ctxup tdfe के बाद स्पेस देकर 10 अंकों का TDF नम्बर अंकित करेगा।

प्रदर्शनी की समाप्ति के पश्चात जिस वाहन द्वारा माल का पारगमन किया जाना है उसके ट्रांसपोर्टर/ वाहन प्रतिनिधि द्वारा विभागीय वेबसाइट पर लाग इन करते हुए मूल TDF-1 का क्रमांक अंकित करने के पश्चात संबंधित माल की उसी प्रकार प्रविष्टि की जाएगी जिस प्रकार माल को प्रदेश के अन्दर लाते समय की गयी थी। माल के प्रान्त बाहर ले जाने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार TDF-2 अपलोड किया जाएगा तथा संबंधित sms किया जाएगा।

mu

10- पारगमन पत्र की संशोधित प्रक्रिया में प्रवेश तथा निर्गमन के लिए पूर्व में निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त अम्बावाय (झांसी) , बरुआसागर (झांसी) , बिन्डमगंज (सोनभद्र) तथा मेहरौना (देवरिया) स्थान एतद्द्वारा सम्मिलित किये जाते हैं ।

11- पारगमन के जिन प्रकरणों में माल की पल्टी प्रदेश में करने का बिन्दु निहित है उनमें माल के प्रदेश के बाहर ले जाए जाने की **अवधि 06 दिन** की जाती है ।

12- TDF-2 में प्रश्नगत पारगमित माल के संबंध में गन्तव्य राज्य में लागू आयात हेतु घोषणा पत्र (Declaration Form for Import) की प्रश्नगत संव्यवहार के लिए प्रयुक्त संख्या का उल्लेख किया जाएगा । **TDF-2 गन्तव्य राज्य में माल के पहुँचने के समय तक अपलोड किया जा सकेगा ।**

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में आदेश संख्या सचल दल -ट्रांजिट पास -2013-14 /1341 /1314041/वाणिज्य कर दिनांक 03.09.2013 द्वारा निर्गत निर्देश तदनुसार संशोधित समझे जायें ।

इस आदेश द्वारा निर्गत निर्देश दिनांक 15-10-2013 से लागू होंगे । तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

mu 1-10-2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।
(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।
(3) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)
(4) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0 ।
(5) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
(6) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ ।
(7) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
(8) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(9) समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0/स0द0) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
(10) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर, लखनऊ ।
(11) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।
(12) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।
(13) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
(14) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(15) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
(16) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिगं जोन,सेक्टर 10नोयडा ।

(17) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद ।
(18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
(19) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियॉ में ।
(20) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉ ।
(21) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
(22) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी ,बांसमण्डी, लखनऊ ।
(23) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ ।
(24) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष,समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) उ0प्र0 ।
(25) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
(26) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुँज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ ।
(27) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
(28) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
(29) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
(30) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
(31) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ ।
(32) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
(33) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ ।
(34) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से ।
(35) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।
(36) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद ।
(37) श्री शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली, मुजफ्फरनगर।
(38) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
(39) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
(40) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
(41) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
(42) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।
(43) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1,कुँजगली,चौक,वाराणसी ।
(44) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
(45) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
(46) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।
(47) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
(48) श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।
(49) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।
(50) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
(51) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
(52) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
(53) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।

(54) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर।

(55) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ।

(56) श्री अरुण कुमार अवस्थी,प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पॅजी0-बी-29,विधायकनिवास, दारुल सफा,लखनऊ।

(57) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ।

(58) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष , समाजवादी व्यापारी सभा , उ0प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ।

(59) श्री दिनेश चन्द्र मिाल, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ।

(60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ।

(61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।

(62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस।

(63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।

(64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उार प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)

(65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद।

(66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूॅं, ।

(67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद।

(68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद।

(69) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट,1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।

(70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ।

(71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्व नगर (यू0पी0)।

(72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड।

(73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा।

1.10.13

(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
मुख्यालय , उत्तर प्रदेश